सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 29.10.2024

हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल लाठी, बेंत एवं एक्टिवा स्कूटी की गयी बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर नागेन्द्र चौबे के नेतृत्व में थाना बलरई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी सावित्री पत्नी रामभजन निवासी ग्राम काटरपुर थाना राजाखेडा जनपद धौलकर राजस्थान द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो सत्यभान पुत्र रामनाथ के यहाँ लगभग 02 माह से रह रही थी उसे सत्यभान पुत्र रामनाथ जो रिस्ते में मौसा लगते हैं उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर दिनांक 21.10.2024 को उसकी हत्या कर दी है तथा शव को यमुना नदी में दबा दिया । सूचना पर **थाना बलरई पर मु0अ0सं0 52/2024 धारा 103(2)/238/3(5) बीएनएस (302/201/34 भादवि)** पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 29.10.2024 को थाना बलरई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 52/2024 से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को जसवन्तनगर नगर पुल के पास से समय 10.02 बजे गिरफ्तार** किया गया ।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तगणों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्त सत्यभान ने बताया कि मेरे ससुर पूरन सिंह के पास सावित्री की बेटी रहती थी जो किसी लड़के से बात करती थी एवं इसी कारण से 02 माह पूर्व उनके द्वारा अपनी पुत्री को मेरे घर पर भेज दिया गया था परन्तु मेरे घर आकर भी उसने उस लड़के से बात करना बन्द नहीं किया इसी कारण हम लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।

नोटः- अभियुक्तों की निशादेही के आधार पर आलाकत्ल 01 लाठी एवं 01 लकड़ी की मोगरी को उसके घर से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सत्यभान पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम जाखन थाना बलरई जनपद इटावा **उम्र 28 वर्ष।**
2. पूरन सिंह पुत्र रोशन लाल निवासी काँस डौकी पूर्वी जनपद आगरा **उम्र 58 वर्ष।**
3. 01 अभियुक्ता

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 52/2024 धारा 103(2)/238/3(5) बीएनएस थाना बलरई जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 आलाकत्ल लाठी
2. 01 आलाकत्ल लकड़ी की मोंगरी
3. 01 स्कूटी **(UP75 AQ 7450)**

पुलिस टीमः- श्री नागेन्द्र चौबे क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर उ0नि0 श्री अमित मिश्रा थानाध्यक्ष बलरई, उ0नि0 भगवान सिंह, का0 राहुल भारद्वाज, का0 विकास यादव, म0का0 पिंकी, का0 चालक आशु कुमार।